

**अनुदान संख्या 76 – लोक सभा**  
**GRANT No. 76 - LOK SABHA**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged -</i>			
मूल	<i>Original</i>	1,15,00		
			1,37,00	
पूरक	<i>Supplementary</i>	22,00	1,19,61	-17,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			5,72
<b>स्वीकृत—</b>	<b>Voted-</b>			
मूल	<i>Original</i>	773,82,00		
			793,82,00	
पूरक	<i>Supplementary</i>	20,00,00	671,73,13	-122,08,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			120,28,52

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹12208.87 लाख) जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2000.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं—

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹12208.87 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹2000.00 lakhs obtained in July, 2018 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष “2011” संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Head Major Head “2011” Parliament/State/Union Territory Legislatures
मू.	O. 77382.00
पू.	S. 2000.00
पु.	R. -12028.52

(I) ₹0.07 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹0.07 lakh remained wholly unutilized under two heads.

(II) “संसद – लोकसभा – सदस्य” – ₹30090.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़कर ₹32090.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹6096.48 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) एमएसए अधिनियम के संशोधन में विलंब होने की वजह से वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, चिकित्सा दावों, रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से नामे दावों, सांसदों द्वारा वित्तीय पात्रता दावों की कम प्राप्ति होने और विदेशी प्रतिनिधि मंडल द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under “Parliament - Lok Sabha - Members” - the original provision of ₹30090.00 lakhs was augmented to ₹32090.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6096.48 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries owing to delay in amendment of MSA Act, receipt of less medical claims, debit claims from the Ministry of Railways and Ministry of External Affairs, financial entitlement claims by MPs and visit of less foreign delegations.

(III) “संसद – लोकसभा सचिवालय” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under “Parliament - Lok Sabha Secretariat” - savings occurred under the following heads: -

(का) “सचिवालय” – ₹5466.03 लाख की बचत (₹44146.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और सीसीटीवी के अपग्रेडेशन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा नामे दावे कम किए जाने, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की खरीद में विलंब होने के कारण हुई।

(A) “Secretariat” - saving of ₹5466.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44146.43 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and allowances, delay in finalization of upgradation of Integrated Security System and CCTV, less debit claims preferred by Directorate of Advertising and Visual Publicity and delay in procurement of computer hardware/software.

(ख) “लोकसभा टेलीविजन चैनल” – ₹695.03 लाख की बचत (₹2235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वराज्य साहित्य तथा लोकसभा टेलीविजन चैनल के अन्य कार्यक्रमों संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) “Lok Sabha Television Channel” - saving of ₹695.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2235.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Swarajya Sahitya and other programmes of Lok Sabha Television Channel.

---